



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 217-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

(22 अग्रहायण, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 144/संवि०/अनु० 309/2022, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 — हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2022।	901-918
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग – III
हरियाणा सरकार
वित्त विभाग
अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

संख्या सांका०नि० 144/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2022, कहे जा सकते हैं । संक्षिप्त नाम ।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।
 - (क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;
 - (ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
 - (ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्ति या हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (घ) "निदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक या निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा, जैसी भी स्थिति हो;
 - (ङ) "परीक्षा" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा या इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा, समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट अनुसार संचालित हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा भाग-I तथा II;
 - (च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (छ) "संस्था" से अभिप्राय है, —
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (ज) "संगठन" से अभिप्राय है, और इसमें शामिल है, हरियाणा सरकार के सभी विभाग, वैधानिक निकाय । इसमें विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, संघ तथा प्राधिकरण जो पूर्णतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियन्त्रणाधीन हो, भी शामिल हैं;
 - (झ) अनुभव के प्रयोजन के लिए "विख्यात संगठन" से अभिप्राय है, किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन कोई संगठन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन जिसका आवर्त, कम से कम एक वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए का हो, व शामिल है;
 - (ञ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
 - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;
 - (ट) परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयोजन हेतु "नियमित कर्मचारी" से अभिप्राय है, किसी संगठन का कर्मचारी जिसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की जाती है;
 - (ठ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा;
 - (ड) "पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है सरकार द्वारा, समय समय पर, यथाविनिर्दिष्ट भाग-I तथा II परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम ।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाये गये पद समाविष्ट होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा :

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती अभिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति निदेशक द्वारा की जायेगी ।

योग्यताएं तथा अनुभव ।

7. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति जो,—

(i) दो प्रयासों में भाग-I की परीक्षा; तथा

(ii) दो प्रयासों में भाग-II की परीक्षा,

उत्तीर्ण होने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी । किसी भाग की परीक्षा में बैठने का कोई भी और प्रयास अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी परिस्थिति, जो उसके नियन्त्रण से परे है, के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में असफल रहता है, तो प्रशासकीय सचिव, अपने विवेक पर, अनुकंपा आधार पर एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति दे सकता है ।

व्याख्या.— “दो प्रयासों” से अभिप्राय है, सम्बन्धित कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से तीन मास के उपरांत सरकार/अभिकरण द्वारा संचालित परीक्षा (परीक्षाओं) की संख्या, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि उसने ऐसी परीक्षा के लिये आवेदन किया है या उसमें उपस्थित हुआ है या नहीं । नियुक्ति की तिथि के बाद तीन मास के भीतर किए गए परीक्षा के प्रयास को दो प्रयासों के प्रयोजन के लिए अवगणित कर दिया जायेगा ।

(2) कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति परीक्षा के दोनों भाग अर्हक नहीं कर लेता ।

अयोग्यताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

- (i) परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है; तथा
- (ii) ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. (1) सेवा में अनुभाग अधिकारी की दशा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

भर्ती का ढंग ।

- (i) 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
- (ii) 70 प्रतिशत हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति द्वारा; या
- (iii) हरियाणा सरकार के अधीन किसी संगठन में सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, सभी उम्मीदवारों, जिन्होंने विनिर्दिष्ट तिथि को परीक्षा के दोनों भाग पास किए हैं, की पृथक योग्यताक्रम सूची, उन द्वारा उपभोग किए गए प्रयासों की संख्या को ध्यान में रखे बिना, परीक्षा के दोनों भागों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अनुरक्षित की जाएगी ।

(3) नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों की उपलब्धता के अधीन की जाएगी। उपरोक्त उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दोनों भागों में केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना सेवा में नियुक्ति के लिये किसी उम्मीदवार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा । तथापि, उप-नियम 2 में निर्दिष्ट योग्यताक्रम सूची अन्तिम उम्मीदवार, जिसका नाम योग्यताक्रम सूची में सबसे नीचे है, के शामिल होने तक वैध रहेगी ।

10. (1) सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए या नियम 7 के उप-नियम (1) में यथा विहित परीक्षा पास करने की अवधि तक, जो भी बाद में हो, तक परिवीक्षार्थी रहेगा और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है, तो वह एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परिवीक्षा ।

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में नियुक्ति से पूर्व समकक्ष या उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की ओर अनुज्ञात होगी;

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षार्थी, जिसने दो वर्ष की अवधि के दौरान परीक्षा के दोनों भाग अर्हक कर लिए हो, किन्तु उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो, तो ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी—

- (क) उसे उसकी सेवाओं से हटा सकता है; या
- (ख) एक वर्ष के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है ।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्ति का कार्य तथा आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो, तो ऐसे मामलों में वह—

- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।
- (iii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, भी शामिल है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है ।

परीक्षा ।

11. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों के लिए परीक्षा के संचालन हेतु पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया, ऐसी होगी जो समय-समय पर, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

ज्येष्ठता ।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाएगी:—

- (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा ।
- (2) एक ही तिथि को भर्ती के विभिन्न ढंगों के माध्यम से नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निर्धारित की जाएगी—
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
 - (ii) हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (3) हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में,—
 - (i) ज्येष्ठता, परीक्षा के दोनों भागों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार, निर्धारित की जाएगी;
 - (ii) जहां उसी संगठन या विभिन्न संगठनों के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के दोनों भागों में समान अंक हैं, तो ऐसे मामले में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पूर्व नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर पूर्व नियुक्ति में भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

13. (1) सेवा के सदस्य को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता है:

परन्तु सेवा का कोई भी सदस्य परिवीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) सेवा का कोई भी सदस्य उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) या (2) के अधीन सेवा के सदस्य का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में अधिकथित शर्तों तथा किन्हीं निर्बन्धनों जो साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझें के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

टिप्पण 1.— सेवा के किसी भी सदस्य को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक आदाता नियोक्ता उसे ऐसी विशेष सुविधाओं से कम प्रदान नहीं करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता ।

टिप्पण 2.— सेवा के सदस्य का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं होने पर होता ।

टिप्पण 3.— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सेवा का सदस्य प्रतिनियुक्ति पर होगा । तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए आदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा ।

14. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा नियम तथा अन्य नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या तत्समय लागू या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाये गये हो अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।
15. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे: अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।
परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट है।
- (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) या (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट है।
16. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवायेगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।
17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।
18. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।
19. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, नियुक्त प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति/पदोन्नति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।
20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।
21. हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2013, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।
परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अनुभाग अधिकारी	523	वृत्तिमूलक वेतन स्तर 7 सैल-1 = 44,900 - 1,42,400 रुपए

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अनुभाग अधिकारी	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 60 प्रतिशत अंकों (प्रथम श्रेणी) सहित वाणिज्य में बैचलर डिग्री (बी0काम) तथा डिग्री परीक्षा पास करने के बाद अर्जित किसी विख्यात संगठन से लेखा में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित वाणिज्य में मास्टर डिग्री (एम0काम) तथा मास्टर डिग्री परीक्षा पास करने के बाद अर्जित किसी विख्यात संगठन से लेखा में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो; या</p> <p>(iii) परीक्षा पास करने बाद अर्जित किसी विख्यात संगठन से लेखा में तीन वर्ष के अनुभव सहित भारतीय चार्टर्ड अकाउटेन्ट संस्थान से चार्टर्ड अकाउटेन्ट; तथा</p> <p>(iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी ।</p>	<p>हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति द्वारा,—</p> <p>समय—समय पर इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के दोनों भाग अर्हक करने के अध्यक्षीन ग्रुप ख या ग पद अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत बैचलर या समकक्ष डिग्री रखने वाले तथा किसी ग्रुप ख तथा/या ग पद पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सन्तोषजनक सेवा रखने वाले संगठन के नियमित कर्मचारियों में से।</p> <p>स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा,—</p> <p>हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा के दोनों भाग अर्हक करने के बाद अनुभाग अधिकारी या समकक्ष पद पर पहले से ही नियुक्त हरियाणा सरकार के अधीन संगठन के नियमित कर्मचारियों में से।</p>

परिशिष्ट ग

{ देखिए नियम 15(1) }

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनुभाग अधिकारी	निदेशक	(i) छोटी शास्तियां:- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित । (ii) बड़ी शास्तियां:- हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित ।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार

परिशिष्ट घ

{ देखिए नियम 15(2) }

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	अनुभाग अधिकारी	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा की समाप्ति; तथा (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समय पूर्व सेवानिवृत्ति।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 13th December, 2022

No. G.S.R. 144/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service, namely:—

Part-1- GENERAL

- Short title. **1.** These rules may be called the Haryana State Accounts Subordinate (Group C) Service Rules, 2022.
- Definitions. **2.** In these rules, unless the context otherwise requires,-
- (a) “Administrative Secretary” means the Additional Chief Secretary or the Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department, as the case may be;
 - (b) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;
 - (c) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by appointment through Haryana State Accounts Service Examination or by transfer of an official already in service in any Organization under Haryana Government;
 - (d) “Director” means the Director General or the Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana, as the case may be;
 - (e) “examination” means Haryana State Accounts Services Examination Part-I and II conducted by the Government or any other agency authorized by Government for this purpose, in accordance with such regulations as may be notified by Government from time to time;
 - (f) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (g) “institution” means—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purposes of these rules;
 - (h) “organization” means and includes all Departments of Haryana Government, Statutory Bodies. It also includes Universities, Boards, Corporations, Federations, Authorities wholly owned and controlled by the State Government;
 - (i) “reputed organization” for the purpose of experience means an organization under any State Government or Government of India and includes the Private Organization registered under Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) having turnover of Rs. 100 crore for at least one year;
 - (j) “recognized university” means,-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;
 - (k) “regular employee” for the purpose of appearing in the examination means an employee of an organization whose appointment is made on regular basis by the competent authority;
 - (l) “Service” means the Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service;
 - (m) “Syllabus” means syllabus for examination for Part-I and II as specified by the Government from time to time.

PART II- RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules:

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make addition to, or reductions in the number of such regular posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

4. (1) No person shall be appointed to a post in the Service unless he is,-

Nationality, domicile and character of candidates.

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of categories, (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of citizenship of India has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to a post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to the post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than forty- two years of age on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting agency.

Age.

6. All appointments to the posts in the Service shall be made by the Director.

Appointing authority.

7. (1) No person shall be appointed to a post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Qualifications and experience.

Provided that a person recruited to the Service by direct appointment who fails to pass—

- (i) the examination of Part-I in two attempts; and
- (ii) the examination of Part-II in two attempts,

his services shall be dispensed with. No further attempt to appear in the examination of any part shall be allowed:

Provided further that if an employee fails to appear in the examination due to the circumstances beyond his control, the Administrative Secretary, at his discretion, may grant one extra attempt on compassionate ground.

Explanation.— Two attempts means the number of examination(s) conducted by Government/agency after three months from the date of appointment of the concerned person irrespective of the fact that he has applied for or appeared in such examination or not. An attempt of examination taken within three months after the date of appointment shall be ignored for the purpose of two attempts.

(2) No annual increment shall be admissible until a person appointed by direct recruitment qualifies both the parts of examination.

8. No person—

Disqualifications

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that—

- (i) such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage; and
- (ii) there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

- 9.** (1) Recruitment to the Service in the case of Section Officer shall be made—
- (i) 30% by direct recruitment; and
 - (ii) 70% by appointment through Haryana State Accounts Services Examination; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service in any Organization under Haryana Government.

(2) For the purpose of appointment through Haryana State Accounts Services Examination, a separate merit list of all the candidates who have passed both the parts of Examination on a specified date shall be maintained on the basis of total marks obtained in both the parts of examinations irrespective of the number of attempts availed by them.

(3) Appointment shall be made subject to availability of the sanctioned vacant posts. Mere passing of the examination in both the parts referred to in sub-rule (2) above shall not confer any right upon any candidate to appointment in the Service. However, the merit list referred to in sub-rule (2) shall remain valid till the joining of the last candidate whose name appears at the bottom of the merit list.

Probation.

- 10.** (1) Person appointed by direct recruitment in the Service shall be probationer for a period of two years or up to the period of passing the examination as prescribed in sub-rule (1) of rule 7 whichever is later and if appointed otherwise shall remain on probation for a period of one year:

Provided that:-

- (a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in the service prior to appointment in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule;

(2) If in the opinion of the appointing authority, a probationer who has qualified both the parts of examination during the period of two years but his work or conduct is not satisfactory, in such case the appointing authority may—

- (a) dispense with his services; or
- (b) extend his period of probation for a period of one year;

(3) If in the opinion of the appointing authority the work and conduct of a person appointed otherwise than by direct recruitment during the period of probation is not satisfactory, in such case it may—

- (i) revert him to his former post; or
- (ii) deal with him in such manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
- (iii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed two years.

(4) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment.

11. The syllabus and procedure for conduct of Examination for the persons appointed by direct recruitment and appointed otherwise than by direct recruitment shall be such as specified by the Government from time to time. Examination.

12. Seniority inter-se of the members of the Service shall be determined as per following provisions.— Seniority.

(1) in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority.

(2) In the case of two or more members appointed by different mode of recruitment on the same date, their seniority shall be determined as follows—

(i) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise than by direct recruitment;

(ii) member appointed through Haryana State Accounts Services Examination shall be senior to a member appointed by transfer;

(3) In the case of members appointed through Haryana State Accounts Services Examination—

(i) seniority shall be determined according to the merit list prepared on the basis of aggregate marks obtained in both the parts of examination;

(ii) where the total marks of both the parts of two or more candidates of the same or different Organization is equal, in such case the seniority shall be determined according to pay. Preference shall be given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn in previous appointment are also the same, elder in age shall be senior in the service.

13. (1) A member of Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of the Department, whichever is higher, to foreign service or on deputation to any organization/Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board: Liability to serve.

Provided that no member of Service shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(2) No member of Service shall be transferred to foreign service or on deputation against his will in any organization/department under the control of Government of India or any other State Government or out of India.

(3) Transfer of a member of Service under sub-rule (1) or (2) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.— No member of Service shall be transferred to foreign service on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.— The lien of member of Service in this Department shall remain intact had he not been transferred to foreign service or on deputation.

Note 3.— A member of Service transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation. However, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

- Pay, leave, pension and other matters.
- 14.** In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules the members of the Service shall be governed by Haryana Civil Services Rules and other rules and regulations as may have been or may be adopted by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force or made by the State Legislature.
- Discipline, penalties and appeals.
- 15.** (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 as amended from time to time:
- Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authorities empowered to impose such penalties and appellate authorities shall, subject to the provision of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.
- (2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or clause (f) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.
- Vaccination.
- 16.** Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.
- Oath of allegiance.
- 17.** Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as established by law.
- Power of relaxation.
- 18.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Special provision.
- 19.** Notwithstanding anything contained in these rules, the Director may impose special terms and conditions in the order of appointment if, it is deemed expedient to do so.
- Reservation.
- 20.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Persons with disabilities or any other class or category of persons under clause (4) of article 16 of the Constitution of India and in accordance with the order issued by the State Government in this regard from time to time.
- Repeal and savings.
- 21.** The Haryana State Subordinate Accounts (Group C) Service Rules, 2013 are hereby repealed:
- Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A*(See rule 3)*

Serial Number	Designation of post	Number of Posts	Scale of pay
1	2	3	4
1.	Section Officer	523	Functional Pay Level-7, Cell 1 Rs. 44,900-1,42,400

APPENDIX B*(see rule 7)*

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Section Officer	<p>(i) Bachelor Degree in Commerce (B.Com.) with 60% marks (1st Division) from recognized university and having three years' experience in accounting from a reputed organization, acquired after passing the degree examination; or</p> <p>(ii) Master Degree in Commerce (M.Com) with 55% marks from a recognized university and having three years' experience in accounting from a reputed organization, acquired after passing the master degree examination; or</p> <p>(iii) Chartered Accountants from the Institute of Chartered Accountant India with three years' experience in accounting from a reputed organization acquired after passing the examination; and</p> <p>(iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in matric or Hindi as one of the subject in higher standard.</p>	<p>By appointment through Haryana State Accounts Services examination:</p> <p>From amongst regular employees of Organization working on a post Group B or C or equivalent post, possessing a bachelor degree or its equivalent and having rendered minimum 3 years' regular satisfactory service on any of the Group B and/or C post subject to qualifying both the parts of Haryana State Accounts Services Examination as per instructions issued by the Government in this regard from time to time.</p> <p>By transfer/ deputation: –</p> <p>From amongst regular employees of Organization under Haryana Government already appointed on the post of Section Officer or equivalent post after qualifying both the parts of Haryana State Accounts Services Examination.</p>

APPENDIX C*[see rule 15(1)]*

Serial Number	Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
1.	Section Officer	Director	<p>(i) Minor Penalties: As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016;</p> <p>(ii) Major Penalties: As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016</p>	Director	Administrative Secretary	Government

APPENDIX-D*[(see rule 15(2))]*

Serial Number	Designation of post	Nature of Order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1.	Section Officer	(i) reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing the pension; (ii) termination of service; (iii) premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.	Director	Administrative Secretary	Government

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.